17-01-2022

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी कमलेश कुमार प्रजापत पुत्र छोगाराम प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– आमली रोड, पुरोहित भवन के पास, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, कमलगंगा मार्केटिंग एण्ड कम्पनी, अजारी रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही ने प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.1.2022 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि मेरे विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है उसको मैं स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ। मेरे विरुद्ध जो सेम्पल भरा गया था वह मिस ब्राण्ड पाया गया है जो कम्पनी की गलती है जिसमें मेरा कोई लेना देना नही है। मैंने अपना व्यापार बंद कर दिया है तथा यह मेरा प्रथम अपराध है, इसिलये रहम नजर फरमाकर उक्त प्रकरण का फैसला आज ही करावे।

प्रकरण में नियत दिनांक 12.1.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी कमलेश कुमार प्रजापत द्वारा दिनांक 12.1.2022 को उक्तानुसार लिखित जवाब प्रस्तुत कर गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 12.1.2020 को ही प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी कमलेश कुमार प्रजापत ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.10.2022 को समय 1.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म कमल गंगा मार्केटिंग एण्ड कम्पनी, अजारी रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक के [illegible] प्रतिवादी कमलेश

......लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.53/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

कुमार प्रजापत पुत्र छोगाराम प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– आमली रोड, पुरोहित भवन के पास, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ चाय (कर्णावती ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ चाय (कर्णावती ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता कमलेश कुमार प्रजापत को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान की आलमारी की रैक बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ चाय (कर्णावती ब्राण्ड) के 42x500 ग्राम पैक्ड पाउचेज में से चाय (कर्णावती ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) को जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 520/– (रुपये पांच सौ बीस मात्र) विक्रेता कमलेश कुमार प्रजापत को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1174, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ चाय (कर्णावती ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना पाउचेज पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों खरीदशुदा पापड (कर्णावती ब्राण्ड) को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1174को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.10.2020 [illegible] नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण [illegible] बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा खाद्य विश्लेषक,

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला रजिस्ट्रार
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.53/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 12.10.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म कमलगंगा मार्केटिंग एण्ड कम्पनी, अजारी रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता कमलेश कुमार प्रजापत से खाद्य पदार्थ चाय (कर्णावती ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ चाय (कर्णावती ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1174 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./467/Act/2020/467 दिनांक 23.10.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय (कर्णावती ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी कमलेश कुमार प्रजापत ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (कर्णावती ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी कमलेश कुमार प्रजापत पुत्र छोगाराम प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– आमली रोड, पुरोहित भवन के पास, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, कमलगंगा मार्केटिंग एण्ड कम्पनी, अजारी रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी कमलेश कुमार प्रजापत को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रा[illegible] कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की [illegible] वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:23 IST
Reason: SelfAttested

(क.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही